

## राजस्थान सरकार

## वित्त विभाग

(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(230)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2016/

दिनांक 01-02-2018

कोषाधिकारी,  
सचिवालय जयपुर।

(स्वीकृति संख्या 643 /2017-18)

विषय: शहरी निकायों को वर्ष 2017-18 में माह जनवरी 2018 से मार्च 2018 (03 माह) के लिए चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

विभागीय स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(159 )लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/25651-60 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार राज्य की शहरी निकायों को वर्ष 2017-18 में माह जनवरी 2018 से मार्च 2018 (03 माह) तक के लिए स्वीकृत चुंगी पुनर्भरण अनुदान की चतुर्थ किस्त में से निम्नांकित स्वीकृतियों द्वारा पेंशन अंशदान की बकाया राशि की कटौती राशि रूपये 776.16 लाख की गयी है :-

01. प.6(ट)(159 )लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/25359-400  
दिनांक 29.01.2018 (स्वीकृति संलग्न)
02. प.6(ट)(159 )लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/25401-650  
दिनांक 29.01.2018 (स्वीकृति संलग्न)

राशि रूपये 416.68 लाख

राशि रूपये 359.48 लाख  
राशि रूपये 776.16 लाख

उक्त राशि रूपये 776.16 लाख (अक्षरे रूपये सात करोड़ छियतर लाख सौलह हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित कर दी जावे:-

## विकलेय मद

## जमा मद

मांग संख्या - 29	
2217 - शहरी विकास	8011 - बीमा तथा पेंशन निधि
80 - सामान्य	106 - अन्य बीमा तथा पेंशन निधि
191 - नगर निगम को सहायता (03)-विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध [00]	(02)-नगरपरिषदों/ नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की पेंशन निधियाँ राशि रूपये 776.16 लाख
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रूपये 416.68 लाख	
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 192 - नगर पालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता (45)-विशेष अनुदान [01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रूपये 359.48 लाख	
कुल राशि : 776.16 लाख	
कुल राशि : 776.16 लाख	

भवदीय

*W/J/H/V*

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।  
02. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।  
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।  
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।  
05. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।  
06. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।  
07. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।  
08. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।  
09. सुरक्षित पत्रावली।

*W/J/H/V*

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

## राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान ज्युपर

जी-३, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल बाईच एनक बाला

वेबसाईट- [www.lsg.urban.rajasthan.gov.in](http://www.lsg.urban.rajasthan.gov.in)

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(159 )लेखा / डीएलबी / चु.पु.अनु/ 2017-18 / ८५६८।

दिनांक २५.१.१३

## —:: स्वीकृति आदेश ::—

**विषय:** शहरी निकायों को वर्ष 2017-18 में माह जनवरी 2018 से मार्च 2018 (03 माह) के लिए चुंगी जी राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

राज्य की शहरी निकायों को वर्ष 2017-18 में माह जनवरी 2018 से मार्च 2018 (03 माह) तक के लिए स्वीकृत चुंगी पुनर्भरण अनुदान की तृतीय किस्त की राशि में से निम्नांकित स्वीकृतियों द्वारा पेंशन अंशदान की बकाया राशि के पेटे कुल राशि रूपये 849.61 लाख की कटौति विभागीय स्तर पर की गयी है :-

01. लेखा / प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/९५३५९-४००  
दिनांक २१.१.१८ (स्वीकृति संलग्न)

राशि रुपये 416.68 लाख

02. लेखा / प.6(ट)(159)लेखा / डीएलबी/ चु.पु.अनु/2017-18/ ९५४०।-६५८  
दिनांक २१.१.१८ (स्वीकृति संलग्न)

राशि रुपये 359.48 लाख

**राशि रुपये 776.16 लाख**

उक्त राशि रूपये 776.16 लाख (अक्षरे रूपये सात करोड़ छियतर लाख सौलह हजार मात्र) कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विकलेय मद

जमा मद	
मांग संख्या - 29	
2217 - शहरी विकास	8011- बीमा तथा पेशन निधि
80 - सामान्य	106- अन्य बीमा तथा पेशन निधि
191 - नगर निगम को सहायता (03)-विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध [00]	(02)-नगरपरिषदों / नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की पेशन निधियाँ राशि रुपये 776.16 लाख
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रुपये 416.68 लाख	
2217 - शहरी विकास	
80 - सामान्य	
192 - नगर पालिकाओं / नगरपरिषदों को सहायता (45)-विशेष अनुदान [01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रुपये 359.48 लाख	
कुल राशि : 776.16 लाख	
कुल राशि : 776.16 लाख	

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 171800009 दिनांक 22.01.2018 के क्रम में जारी की गई है।

**कुल राशि : 776.16 लाख**

(पवन अरोड़ा)

## (पवान उराड़ा)

दिनांक २१.१.१८

ਕ੍ਰਮਾਂਕ : ਪ.6(੮)(159 )ਲੇਖਾ / ਡੀਏਲਬੀ / ਚੁ.ਪ.ਅਨੁ / 2017-18 / ੫੬੯) - ੬੧

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

- निदेशक वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रूपये 776.16 लाख सम्बन्धित मद में समायोजन की स्वीकृति जारी करावे।
  - कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
  - उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
  - आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगरीय निकाय, समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति के तहत कटौतियों का लेखांकन निकाय के लेखों में सुनिश्चित किया जावे।
  - लेखाधिकारी (पैंशन), निदेशालय।
  - अंक मिलान शाखा / सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राम पवार)

मुख्य लेखाधिकारी